न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा "न्याय आपके द्वार 2017"

कैम्प अटल सेवा केन्द्र मामोर बईजलास प्रमोद कुमार सिन्धव (आर.ए.एस)

मिसल नंबर 304/14. 295/14दावा/बउनवान/सुरजमल/बाबूनारायण

बउनवान

1. सुरजमल पुत्र मन्नालाल जाति कलाल निवासी आंवा।

बनाम

1. बाबूनारायण पुत्र चम्पालाल जाति कलाल निवासी आंवा।
2. नन्दकवरबाई पत्नी चम्पालाल जाति कलाल निवासी आंवा।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

उपस्थित :-

वादी स्वयं

प्रतिवादीक्रम 01 स्वंय स्वयं

प्रतिवादीक्रम 02 की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद बाबत खाता विभाजन, घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु अन्तर्गत धारा 53,88,89,188

निर्णय दिंनाक 30.06.2017

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 खातेदारी घोषणा एवं एक वाद खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट का पेश किया गया दोनों पत्रावलीयों को दिंनाक 12.04.2017 को कन्सोलिडेट किया गया। वाद खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीक्रम 01 एवं प्रतिवादीगण 01 व 02 के संयुक्त खाते व कब्जे की ग्राम आंवा पटवार क्षेत्र आंवा तहसील सांगोद हाल तहसील कनवास में खसरा नंबर 186 की 1.21 है0, खसरा नंबर 376 की रकबा 1.58 है0, खसरा नंबर 377 की रकबा 1. 47 है0, खसरा नंबर 378 की 0.22 है0, खसरा नंबर 478 की 1.04 हे0, खसरा नंबर 809 की 0.88 है0, खसरा नंबर 847 की 1.46 है0, खसरा नंबर 1554 की 0.48 है0, खसरा नंबर 1555 की 0.29 है0, इस प्रकार कुल किता 09 की रकबा 8.63 है0, कृषि भूमि स्थित है, जिनमें वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 01 व 02 का 1/2 – 1/2 हिस्सा है।

यह कि उक्त कृषि भूमियों में पूर्व प्रतिवादीगण क्रम 01 के पिता व प्रतिवादी क्रम 02 के पति श्री चम्पालाल का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज रहा है, उनकी मृत्यु उपरान्त उक्त कृषि भूमियां राजस्व रेकार्ड में 1/2 हिस्से में प्रतिवादीगणक्रम 01 व 02 के नाम से दर्ज हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

यह कि वादी व प्रतिवादीगण 01 व 02 उक्त विवादित कृषि भूमियों को राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से क्रमशः 1/2 –1/2 के अनुसार शामलाती रूप से मौके पर शांति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन उक्त विवादित कृषि भूमियों राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज होने की वजह से तथा उक्त कृषि भूमियों का मौके पर विधिवत विभाजन नंही होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण को अपने हिस्से की कृषि भूमि पर विकास कार्य करने में परेशानी आती है। इस हेतु वादी द्वारा निवेदन किया गया कि उपरोक्त वर्णित आराजी भूमियों का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज वादी के हिस्से मुताबिक विभाजन किया जाकर खाता व लगान वादी पृथक–पृथक किया जावे।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 खातेदारी घोषणा का इस आशय का पेश किया कि माल ग्राम आंवा के खाता संख्या नयी 612 पुरानी 608 पर के खसरा नंबर 1808, खसरा नंबर 1820, खसरा नंबर 1822 कुल किता 03 की रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 2380 की रकबा 0.65 है0, खसरा नंबर 2396 की रकबा 0.2400 हे0, खसरा नंबर 2398 की रकबा 0.3600 है0, खसरा नंबर 2404 की रकबा 0.7000 है0, खसरा नंबर 2416 की रकबा 0.1500 है0, खसरा नंबर 2418 की रकबा 0.1300 है0, कुल खसरा किता 06 की रकबा 2.2300 है0, आराजी स्थित है। यह कि वादी व वादी का भाई चम्पालाल ग्राम आंवा में एक ही मकान में अलग अलग हिससे में निवास करते थे वादी बमोरी वाले सेठ जी की दुकान पर मुनीम का काम करता था तथा अपने हिस्से आराजी को मुनाफा काश्त करता था तथा चम्पालाल उनके हिस्से की आराजी को वे मुनाफा काश्त करते थे। अन्य कोई आय का स्त्रोत उनका नंही था। चम्पालाल जी की मृत्यु दिंनाक 10.08.62 को अस्पताल में हो गयी। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि

(अ). ग्राम आंवा में स्थित खसरा नंबर 186 की 1.21 है0, खसरा नंबर 376 की रकबा 1.58 है0, खसरा नंबर 377 की रकबा 1.47 है0, खसरा नंबर 378 की 0.22 है0, खसरा नंबर 478 की 1.04 हे0, खसरा नंबर 809 की 0.88 है0, खसरा नंबर 847 की 1.46 है0, खसरा नंबर 1554 की 0.48 है0, खसरा नंबर 1555 की 0.29 है0, इस प्रकार कुल किता 09 की रकबा 8.63 है0, कृषि भूमि का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज वादी के हिस्से मुताबिक विभाजन किया जाकर खाता व लगान वादी पृथक – पृथक किया जावे, व विभाजन अनुसार वादी के हिस्से में आने वाले कृषि भूमियों का रिकत आधिपत्य भी मौके पर जाकर वादी को दिलाया जावे।

(ब) ग्राम आंवा तहसील कनवास के खसरा नंबर 1808 पाटी की 16 बिस्वा खसरा नंबर 1820 की 1 बीघा 09 बिस्वा व खसरा नंबर 1822 की 11 बीघा 10 बिस्वा कुल खसरा किता 03 की रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर वादी का दिनांक 1.06.877से निरंतर निबांध रूप कब्जा होने के कारण वादी को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण तलवी की गई प्रतिवादीक्रम 01 व 02 द्वारा उपस्थित होकर दिनाक 12.04.2017 को राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा पढकर सुनाया गया। सुनकर सही होना व राजीनामा से सहमत होना स्वीकार किया। वादी सुरजमल को वादी के वकील श्री अशोक कुमार जैन ने पहचान कर सही होना बताया। वादी व प्रतिवादीगण क्रमशः सूरजमल, बाबूनारायण व नंदकंवर बाई की आई डी के रूप में आधार कार्ड की प्रति पेश हुई, जिनका असल से मिलान कर शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत शिविर में प्रस्तुत हुई वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित हुये। हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेजों का अवलोकन कर हम इस

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

निष्कर्श पर पहुंचते हैं कि वादी एवं प्रतिवादीक्रम 01 व 02 के मध्य हुये राजीनामा अनुसार दावा स्वीकार करने में हमें कोइ आपत्ति नंही है।

आदेश

अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा अनुसार स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वादी सुरजमल को माल ग्राम आंवा के खसरा नंबर 478 की रकबा 1.04 है0, खसरा नंबर 809 की 0.88 है0, खसरा नंबर 847 की रकबा 1.46 है0, खसरा नंबर 2380 की 0.65 हे0, खसरा नंबर 2396 की 0. 24 है0, खसरा नंबर 2398 की 0.36 है0, खसरा नंबर 2404 की रकबा 0.70 है0, खसरा नंबर 2416 की 0.15 है0, खसरा नंबर 2418 की 0.13 है0, कुल खसरा किता 09 की रकबा 5.61 हैक्टर भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीक्र 01 व 02 बाबूनारायण व नदकंवरबाई को माल ग्राम आंवा के खसरा नंबर 376 की रकबा 1.58 है0, खसरा नंबर 377 की रकबा 1.47 हे0, खसरा नंबर 378 की 0.22 हे0, खसरा नंबर 186 की 1.21 है0, खसरा नंबर 1554 की 0.48 है0, एवं खसरा नंबर 1555 की 0.29 है0, कुल किता 06 की 5.25 हे0, आराजी भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णयानुसार अंतिम डिग्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिंनाक 30.06.2017 को मजमेआम में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

प्रमोद कुमार सिन्धी
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा "न्याय आपके द्वार 2017"

कैम्प अटल सेवा केन्द्र मामोर बईजलास प्रमोद कुमार सिन्धव (आर.ए.एस)

मिसल नंबर 304/14. 295/14दावा/बउनवान/सुरजमल/बाबूनारायण

बउनवान

1. सुरजमल पुत्र मन्नालाल जाति कलाल निवासी आंवा।

बनाम

1. बाबूनारायण पुत्र चम्पालाल जाति कलाल निवासी आंवा।
2. नन्दकवरबाई पत्नी चम्पालाल जाति कलाल निवासी आंवा।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

वाद बाबत खाता विभाजन, घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु अन्तर्गत धारा 53,88,89,188

मुकदमा नं 304/14, 295/14 सन 2014 निर्णय दिंनाक 30.06.2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी स्वंय एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 02 स्वयं तथा प्रतिवादी क्रम 03 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है वादी का वाद मुताबिक राजीनामा अनुसार स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वादी सुरजमल को माल ग्राम आंवा के खसरा नंबर 478 की रकबा 1.04 है0, खसरा नंबर 809 की 0.88 है0, खसरा नंबर 847 की रकबा 1.46 है0, खसरा नंबर 2380 की 0.65 हे0, खसरा नंबर 2396 की 0.24 है0, खसरा नंबर 2398 की 0.36 है0, खसरा नंबर 2404 की रकबा 0.70 है0, खसरा नंबर 2416 की 0.15 है0, खसरा नंबर 2418 की 0.13 है0, कुल खसरा किता 09 की रकबा 5.61 हैक्टर भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीक्रम 01 व 02 बाबूनारायण व नदकंवरबाई को माल ग्राम आंवा के खसरा नंबर 376 की रकबा 1.58 है0, खसरा नंबर 377 की रकबा 1.47 हे0, खसरा नंबर 378 की 0.22 हे0, खसरा नंबर 186 की 1.21 है0, खसरा नंबर 1554 की 0.48 है0, एवं खसरा नंबर 1555

(कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा))

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

की 0.29 है0, कुल किता 06 की 5.25 हे0, आराजी भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।उपरोक्तनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरहत ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.06.2017 को जारी की गई।

मोहर ....

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	---------NIL-------		स्टाम्प वकालतनामा	---------NIL-------	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा....		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास